

चतुर्थ  
वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण  
2018-19






**आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

(कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित )

गत तीन वित्तीय वर्षों में आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का प्रदर्शन :

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष (राशि लाखों में)		
	2019	2018	2017
संचालन से राजस्व	3,938.94	2,437.75	367.3
अन्य आय	7.67	4.38	26.58
कुल आय	3,946.61	2,442.14	393.9
सामग्री की लागत सहित कुल व्यय	3,903.24	2,423.17	393.9
पूर्व अवधि समायोजन और कर से पूर्व लाभ	43.37	18.97	-
पूर्व अवधि समायोजन - आय	3.43	-	-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	46.8	18.97	-
कर हेतु प्रावधान	8.85	5.02	0.05
करोपरांत लाभ / (हानि)	37.95	13.96	-0.05



\*- सक्रिय सदस्य कोड के आधार पर

\*\* - तिथि तक शेयर पूंजी की कटौती के अनुसार

निदेशक मण्डल

श्रीमति रेखा देवी	-	अध्यक्ष
श्रीमति सागर कंवर	-	निदेशक
श्रीमति कृष्णा कंवर	-	निदेशक
श्रीमति पुष्पा कंवर	-	निदेशक
श्रीमति सुखि देवी	-	निदेशक
श्रीमति रेखा कंवर	-	निदेशक
श्रीमति सीता कंवर	-	निदेशक
श्रीमति कन्या देवी	-	निदेशक
श्रीमति सागर कंवर	-	अतिरक्त निदेशक
श्री बलजिंदर सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री ब्रजेश नारायण सिंह	-	विशेषज्ञ निदेशक
श्री धर्मेन्द्र कुमार	-	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

कंपनी सचिव

श्री यज्ञ देव शर्मा

वैधानिक अंकेक्षक

मेसर्स कालानी एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स  
जयपुर

आंतरिक अंकेक्षक

मेसर्स रे एंड रे कंपनी  
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स  
मुंबई

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाली, पाली  
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बाली, पाली  
एच.डी.एफ.सी. बैंक, फालना, पाली

पंजीकृत कार्यालय

प्लॉट न. 02, बोया मोड़, आज़ाद बस्ती  
बाली, पाली, राजस्थान, 306701  
दूरभाष संख्या- 02938- 222031  
ई-मेल – bali.mpc@gmail.com

अनुक्रमणिका

विवरण

1. निदेशकों का प्रतिवेदन
2. स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन
3. वित्तीय विवरण

प्रष्ठ सं.

1-

नोट: हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज़ ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

## निदेशकों की रिपोर्ट

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के साथ, कंपनी के संचालन पर चौथी वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है।

कंपनी को 21 मार्च, 2016 को राजस्थान राज्य में कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के तहत सदस्यों से लिये गये दूध के प्रसंस्करण, क्रय, प्रसंस्करण, विपणन करने तथा उनसे संबन्धित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु, एक उत्पादक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था।

### वित्तीय परिणाम (Financial Results): -

संक्षेप वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं:

(राशि लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिए
संचालन से राजस्व	3,938.94	2,437.75
अन्य आय	7.67	4.38
कुल आय	3,946.61	2,442.14
सामग्री की लागत सहित कुल व्यय	3,903.24	2,423.17
पूर्व अवधि समायोजन और कर से पूर्व लाभ	43.37	18.97
पूर्व अवधि समायोजन - आय	3.43	-
कर पूर्व लाभ / (हानि)	46.80	18.97
कर हेतु प्रावधान	8.85	5.02
करोपरांत लाभ / (हानि)	37.95	13.96

### कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति (State of the Company's Affairs):-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिचालन से कुल राजस्व बढ़कर ₹ 3,938.94 लाख हो गया, जिसमें पिछले वर्ष के कुल राजस्व ₹ 2,437.75 लाख की तुलना में 62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल खर्च ₹ 3,903.24 लाख हैं, जो कि पिछले वर्ष में ₹ 2,423.17 लाख था। कर के बाद लाभ ₹ 37.95 लाख तक बढ़ गया है, जो कि पिछले वर्ष में 13.96 लाख था।

### **लाभांश (Dividends):-**

निदेशक मंडल को ₹ 8/- प्रति समता अंश की दर से कुल ₹ 7,46,257/- लाभांश राशि (₹ 1,27,241/- लाभांश वितरण कर सहित) देने कि अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही हैं। लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2019 को कंपनी के सदस्यता रजिस्टर पंजीकृत है।

### **सामान्य संचय में हस्तान्तरण (Transfer General Reserve):-**

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 11.10 एवं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 581ZI की अनुपालना में निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के कर के बाद लाभ से ₹ 30,48,552/- बैलेंस शीट के जनरल रिजर्व में जमा करने के लिए हस्तांतरण करने का प्रस्ताव करता है। ।

### **संचालन की समीक्षा (Review of Operations):-**

#### **दूध की खरीद (Milk Procurement):-**

समीक्षा वर्ष के दौरान अक्टूबर, 2018 में कंपनी के दूध खरीद संचालन को नए क्षेत्र, सिरोही जिले में विस्तारित किया गया था। कंपनी ने राजस्थान के पाली और सिरोही जिलों में अपने व्यवसाय को संचालित किया था और 31 मार्च 2019 को 2 बीएमसी स्थानों (बल्क मिल्क कूलर) और 1 एमसीसी लोकेशन (मिल्क चिलिंग सेंटर) के तहत 2018 एमपीपी की स्थापना करके 197 गांवों को कवर किया था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 91.825 लाख किलोग्राम कच्चे दूध की खरीद की है।

वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के 8,038 सदस्य थे। सदस्यों ने कंपनी के काम में अपना आत्मविश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कंपनी की विकास गाथा की शुरुआत को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों की पारस्परिक सहायता और समर्थन से उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा।

सदस्यों को कंपनी में नियमित रूप से दूध डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनी ने अपने सदस्यों को ₹ 9.91 लाख की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है।

खरीद मूल्य के संबंध में, कंपनी अपने सदस्यों को उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दूध के प्रति प्रतिस्पर्धी और लाभकारी मूल्य का भुगतान कर रही है।

कंपनी अपने सदस्यों से दूध की खरीद को अधिकतम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि कार्यकुशलता को बढ़ाकर और लॉजिस्टिक लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जांच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि जैसे लागत में कमी के उपाय किए जा सकें।

## **उत्पादकता वृद्धि सेवाएं (Productivity Enhancement Services):**

### **राशन बैलेंसिंग कार्यक्रम (Ration Balancing Programme):**

कंपनी के परिचालन क्षेत्र में, उत्पादक चारा खिलाने की पुरानी प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। मवेशियों की आवश्यकता के अनुसार चारा खिलाने की बेहतर प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनी ने राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत, दूध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसकी गणना सॉफ्टवेयर की मदद से की जाती है। दुग्ध उत्पादकों को उनके साथ उपलब्ध खाद्य सामग्री का उपयोग करके संतुलित आहार बनाने की सलाह दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य में वृद्धि और दूध उत्पादन लागत में कमी आती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, 1695 नए मवेशियों को राशन संतुलन कार्यक्रम के तहत कवर किया गया है।

### **कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं (Artificial Insemination (AI) Services):**

कंपनी दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करने और नस्ल में सुधार के साथ अपने परिचालन क्षेत्र में किसानों की आय को अधिकतम करने के लिए शीर्ष आनुवांशिकी का उपयोग करके प्रशिक्षित योग्य तकनीशियनों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं प्रदान कर रही है।

कंपनी स्थानीय युवाओं को भर्ती करने में तरजीह देती है और उन्हें NDDDB के प्रशिक्षण केंद्र में गहन प्रशिक्षण प्रदान करवाती है। कृत्रिम गर्भाधान के 21 दिनों के बाद पुनः गर्मी के लिए जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधरण की जाँच करना और पशु के ब्याने का विवरण ईनाफ सॉफ्टवेयर (INPAH Software) में सुरक्षित रखा जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी 3,837 एआई (पहले एआई फॉलो-अप में लगभग 44 प्रतिशत गर्भधरण दर) करने में सफल रही।

### **बांझपन उपचार शिविर (Infertility Treatment Camps):**

चूंकि बांझपन रोग, पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए एक प्रमुख बाधा है, इसलिए कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में बांझपन शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल 205 बांझपन उपचार शिविर में 2,197 पशुओं का परीक्षण किया। परीक्षण किए गए जानवरों में से 1308 जानवरों को व्युत्पन्न प्रारूप से पीड़ित पाया गया, जिन्हें उचित उपचार दिया गया है और कुल 977 पशु ठीक हो गए थे।

## **कैलिफ़ोर्निया मैस्टिटिस टेस्ट (California Mastitis Test) CMT**

मास्टिटिस या थनैला रोग, एक घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण है, जो कि दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग की सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, कंपनी दुधारू पशुओं के लिए कुल 11,813 CMT (कैलिफ़ोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) करे थे। समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान। कुल 497 मास्टिटिस पॉजिटिव थे और उपचार के बाद ठीक हो गए थे।

### **पशु आहार (Cattle Feed):-**

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 613 मीट्रिक टन पशु आहार की बिक्री की थी, जिसमें पिछले वर्ष के 281.05 मीट्रिक टन के मुकाबले 118 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

### **मिनरल मिक्सचर (Mineral Mixture) :-**

कंपनी ने दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, उत्पादन और प्रजनन में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध चारा, जलवायु और खिलाने की आदतों पर विचार करते हुए कंपनी के ब्रांड नाम में मिनरल मिक्सचर विकसित किया है। कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 6,857 किलोग्राम खनिज मिश्रण बेचा, जिसमें पिछले वर्ष के 2,162 किलोग्राम के मुकाबले 217 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।

### **साइलेज (SILAGE):-**

सर्वश्रेष्ठ चारा खिलाने आदतों को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अपने सदस्यों को साइलेज प्रदान करती है। सदस्य अधिक रुचि दिखा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान लगभग 285 बैग वितरित किए।

### **चारा काटने की मशीन (Chaff Cutter):-**

परिचालन क्षेत्र में निर्माता पुरानी चारा खिलाने आदतों का पालन कर रहे हैं, वे चारे को छोटे टुकड़ों में काटे बिना पूरी तरह से खिलाते हैं और इसके परिणामस्वरूप मवेशी चारे को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं और चारे का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। इसलिए, कंपनी ने अपने कार्यों के क्षेत्र में चारा काटने की मशीन की शुरुआत की और सदस्यों को 22 चैफ कटर वितरित किए। कंपनी सदस्यों को लागत के आधार पर भविष्य में भी चारा काटने की मशीन निरंतर प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगी।

### **गुणवत्ता की पहल (Quality Initiative):**

इस्तेमाल में आने वाले मिल्क चिलिंग सेंटर (MCC) और बल्क मिल्क कूलर (BMCs) कच्चे दूध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं। अपने संचालन में गुणवत्ता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए कम्पनी सभी सम्बन्धित लोगों को अपना पूरा सहयोग एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें साफ- सफाई, जो दूध की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है। ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण स्तर पर 100 स्वच्छ दूध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 3129 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

### **उत्पादक संस्था निर्माण (Producer Institution Building):**

पीआईबी बेहतर प्रशासन और सदस्य केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापार को मजबूत करता है। प्रयासों को कंपनी के व्यवसाय में सदस्य भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप की बेहतर लागत नियंत्रण होती हैं।

पीआईबी गतिविधियां मुख्य रूप से अपने खुले और पारदर्शी शासन प्रणाली और सदस्यों के संरक्षण के बराबर सदस्य इक्विटी के माध्यम से डेयरी सेक्टर के अन्य संस्थाओं से निर्माता कंपनी को अलग करती हैं।

### **कंपनी के मूल सिद्धान्त (MPC'S Core Design Principles):**

कंपनी के मूल सिद्धान्तों का सख्ती से पालन किया गया। केवल सदस्यों के साथ व्यापारिक व्यवहार सीमित थे। सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता और व्यवसाय और शासन में उनकी भागीदारी को सदस्य शिक्षा और जागरूकता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश सक्रिय सदस्यों ने वर्ष के दौरान मिलान शेयर पूंजी योगदान को पूरा किया है।

ग्रामीण स्तर पर सदस्यों के अनौपचारिक समूहों के गठन के माध्यम से सदस्य संचार और शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त तंत्र शुरू किया जा रहा है, जो सदस्यों और कंपनी के बीच दो-तरफा संचार के लिए आवधिक आधार पर मिलते हैं, जिससे सदस्य शिकायतों को संबोधित करते हैं। कर्मचारियों को व्यवसायिक संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक और प्रेरक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है और जल्द से जल्द व्यवहार्यता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था प्राप्त की जाती है।

**प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Training & Capacity Building Programs):**

सदस्यों को डेयरी से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सदस्यों, संभावित सदस्यों, बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न थे:

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	निदेशक मंडल के लिए वार्षिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम	1	9
2	सहायक ओरिएंटेशन प्रोग्राम	4	101
3	निदेशक मंडल के लिए एक्सपोजर विजिट	1	8
4	फील्ड स्टाफ के लिए वार्षिक ओरिएंटेशन कार्यक्रम	3	26
5	फील्ड स्टाफ के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	3	8
6	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	127	4235
7	गुणवत्ता युक्त स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम	100	3129
8	सदस्य भूमिका और जिम्मेदारियां प्रशंसा कार्यक्रम	120	3102
9	रूरल स्कूल चिल्ड्रन अवेयरनेस प्रोग्राम	10	397
10	ग्रामीण युवा जागरूकता कार्यक्रम	6	118
11	एमआरजी अभिविन्यास कार्यक्रम	5	96
12	कर्मचारियों के लिए वार्षिक अभिविन्यास कार्यक्रम	1	22
13	उत्पादकों के लिए डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	38	1129
14	उत्पादकों के लिए किसान कार्यशाला	27	758

**वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद से महत्वपूर्ण परिवर्तन (Material Changes After Closure Of Financial Year): -**

31 मार्च, 2019 के बाद से इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुआ हैं। नियामकों और न्यायालयों द्वारा पारित कोई ऐसा महत्वपूर्ण आदेश नहीं हैं जो कंपनी के प्रगतिशील प्रतिष्ठान स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

**कारोबार के स्वभाव में बदलाव (Change in Nature of Business):**

समीक्षारत वर्ष के दौरान कम्पनी के कारोबार के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया गया।

### **शेयर पूंजी और सदस्यता (Share Capital and Membership):-**

31 मार्च, 2019 तक, कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 77.377 लाख थी जिसमें 77,377 समता अंश ( प्रति शेयर ₹ 100/-), और कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर पर 8,038 सदस्य शामिल थे। 31 मार्च, 2019 के बाद, कंपनी ने 1,603 नए सदस्यों को नामांकित किया है और सदस्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने के कारण 646 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख के अनुसार सदस्यों की कुल संख्या 8,995 है।

### **मतदान अधिकार और एजीएम में उपस्थिति (Voting Rights and Attendance at AGM):**

वे दूध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की तारीख को सदस्य थे, एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे और वो सदस्य जिसने कम से कम 200 दिनों और कम से कम 500 लिटर दूध डाला है, वोट करने के लिए पात्र होगा और उनका एक वोट होगा ।

### **निदेशक मंडल (Board of Directors):-**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री ब्रजेश नारायण सिंह को 20 जुलाई, 2018 से दो वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री धर्मेन्द्र कुमार को 30 अप्रैल, 2018 से मुख्य कार्यकारी और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्रीमती रेखा कुंवर और श्रीमती तपस्या कंवर को क्रमशः 30 अप्रैल, 2018 और 14 जुलाई, 2018 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। श्रीमती कन्या को 13 जून, 2019 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में, श्रीमती पुष्पा कंवर और श्रीमती कृष्णा कंवर आगामी एजीएम में सेवानिवृत्त होंगी। श्रीमती पुष्पा कंवर, पात्र होने के नाते, पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत करेंगी, जबकि श्रीमती कृष्णा कंवर, पात्र न होने के कारण, खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करेंगी।

श्रीमती तपस्या कंवर ने 12 दिसंबर, 2018 से निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

### **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण (Training of Board Members):-**

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, निदेशकों ने दूध व्यवसाय में बेसिक अकाउंटिंग के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम किया है, जिसमें उन्होंने बैलेंस शीट और लाभ और हानि विवरण के मापदंडों के बारे में सीखा है। इससे कंपनी के कामकाज के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है और इस तरह से वे अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को अधिक सम्मिलित और सूचित तरीके से निभा पा रहे हैं। बोर्ड के सदस्यों ने सखी एमपीसी, अलवर और सहज एमपीसी, आगरा का दौरा भी किया था।

## **निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन (Directors' Responsibility Statement):-**

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के तहत निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों को चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किये हैं जो कि इतने उचित एवं विवेकपूर्ण हैं और 31 मार्च 2018 को कम्पनी के कारोबार का सही एवं निष्पक्ष विवरण प्रदान करती हैं और इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सके;
- कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ - साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशको ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख - रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है; और
- निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए हैं।

## **लेखा परीक्षा (Auditors):-**

कम्पनी के अंकेक्षक मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स, जयपुर आगामी चतुर्थ वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और अगर उन्हें पुनः नियुक्त किया जाता है तो उन्होंने कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए योग्यता एवं इच्छा की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल ने मैसर्स कलानी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, जयपुर को आगामी वार्षिक आम सभा में कम्पनी को फिर से अंकेक्षक नियुक्त किए जाने की अनुशंसा की है।

## **आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और लेखा परीक्षा (Internal Control System & Audit):-**

कम्पनी के पास उचित एवं उपयुक्त आंतरिक नियन्त्रण प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि सभी सम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जाए और सभी लेनदेन अधिकृत हों एवं ठीक से दर्ज किए जाएं। खातों का आंतरिक लेखापरीक्षण नियमित रूप से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स की फर्म मैसर्स रे एण्ड रे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षक स्वतन्त्र रूप से आंतरिक नियन्त्रण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और अंकेक्षण करते हैं।

## **मानव संसाधन (Human Resource):-**

लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम के काम ने कंपनी को विकास हासिल करने में सक्षम बनाया है। कंपनी ने हमेशा सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन वाले कार्य संस्कृति और पर्यावरण की प्रदान करने के लिए प्रयास किया है जहां नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को

मान्यता दी जाती है और कर्मचारियों को उनकी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कंपनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए कंपनी के विज़न, मिशन और मूल्यों (VMV) का संगठन के सभी स्तरों पर सच्चे पात्र और भावना के साथ पालन किया जा रहा है। लोग संपत्ति हैं और कंपनी के प्रदर्शन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं।

### **सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):-**

सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती है और सिस्टम को व्यवस्थित करने और ऑनलाइन बनाने में सहायता करती है। आईटी का मुख्य फोकस संचालन में दक्षता में सुधार, सूचित निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियां प्रदान करना है। हमारी कंपनी में आईटी का हस्तक्षेप सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

समीक्षा के दौरान वर्ष के दौरान, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज, नई दिल्ली के तकनीकी समर्थन के साथ, आईबीपी फैसिलिटेटर्स को सदस्यों के वास्तविक डेटा के साथ अपडेट रखने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन "टैब ऐप" लॉन्च किया गया था।

### **कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees):-**

रिपोर्ट के तहत साल के दौरान कम्पनी अनिधियम के अनुसार कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को निर्धारित सीमा के बराबर या अधिक मेहनताना प्राप्त नहीं हुआ।

### **सुरक्षा और स्वास्थ्य (Safety & Health):-**

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करती है। हमेशा कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, खासकर उन लोगों को जो भौतिक रूप से दूध को संभालते हैं। कर्मचारियों को नियमित चिकित्सा जांच और आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

### **ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेश और विदेशी विनिमय आय और निकासी (Energy Conservation, Technology Absorption & Foreign Exchange Earnings and Outgo):-**

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (e) के अनुसार, आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कंपनी नियम, 1988 के साथ पढ़ा जाए:

I. ऊर्जा और तकनीकी समावेश के संरक्षण से संबंधित नियमों का भाग ए और बी वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

II. विदेशी विनिमय आय तथा निकासी: आय - शून्य; निकासी - शून्य।

**बोर्ड बैठकों (Board Meetings):-**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल की चार बैठक 28.06.2018, 01.08.2018, 22.11.2018 और 21.02.2019 को आयोजित की गयी थी।

**ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees & Investments): -**

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लेखों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में विवरण दिखाई देता है।

**संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवहारों का विवरण (Particulars of Contracts or Arrangements with Related Parties): -**

संबंधित पार्टियों के साथ सभी अनुबंध या व्यवहार आर्म लेंथ आधार पर की जाती हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लेखों का हिस्सा बनने वाले नोट्स संख्या 29 में अनुबंध या व्यवहार का विवरण दिखाई देता है।

**जोखिम प्रबंधन नीति (Risk Management Policy): -**

अपनी रिपोर्ट में आंतरिक लेखा परीक्षक विभिन्न मुद्दों पर अपने जोखिम का आकलन करते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के पास रखा जाता है।

**जमाएँ: (Deposits) :-**

अधिनियम के प्रावधानों के तहत कवर जमा से संबंधित विवरण के संबंध में कोई खुलासा या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई जमाएँ नहीं थे।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control): -**

कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

**आभार (Acknowledgement):-**

निदेशक मंडल कंपनी के सदस्यों, बिजनेस एसोसिएट्स और बैंकर्स द्वारा वर्ष के दौरान उनके निरंतर योगदान और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं।

निदेशक मंडल धानी फाउन्डेशन एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज़ के प्रति भी आभारी हैं जिसने अपना सतत सहयोग और प्रोत्साहन प्रदान किया है।

बोर्ड अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग, समर्पण एवं कड़ी मेहनत के लिए उनका आभारी है, जिनके सहयोग के बिना कम्पनी का इतना समग्र विकास सम्भव नहीं था।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

दिनांक: 17 जुलाई 2019

स्थान: बाली, पाली

रेखा

अध्यक्ष एवं निदेशक

## सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

### राय (Opinion)

हमने आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया जिसमें 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट, और समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक सारांश और अन्य व्याख्यामूलक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण 'अधिनियमों' द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं, जैसा कि नीचे दिए गए 'राय के 'आधार' अनुच्छेद में वर्णित है, जिस तरह से आवश्यक है और 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति (वित्तीय स्थिति) और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष में इसके लाभ (वित्तीय प्रदर्शन) और इसके नकदी प्रवाह के लिए आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, ।

### राय का आधार (Basis of Opinion)

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट अंकेक्षण पर मानक (Standards on Auditing) के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया था। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो कि 'अधिनियमों' के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। नीचे दिए गए नियम और इसके तहत बनाए गए नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 465 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार (धारा 30-01-2019 से अधिसूचित अधिसूचना संख्या फ़ाइल नंबर 1/1/2019-CL.I दिनांक 30-01-2019 के अनुसार), कंपनी अधिनियम, 1956 का भाग IXA के प्रावधान एक निर्माता कंपनी के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित लागू

होगा जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 को निर्माता कंपनियों के लिए विशेष अधिनियम लागू होने तक निरस्त नहीं किया गया है। उपर्युक्त को छोड़कर, निर्माता कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान निर्माता कंपनी पर इस तरह लागू होते हैं जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 निरस्त नहीं किया गया है। तदनुसार, ऑडिट आयोजित किया गया है और यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, विशेष रूप से धारा 581ZG इस तरह से है जैसे कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है और ऑडिटिंग पर मानकों की मौजूदा आवश्यकता का पालन करके। इस रिपोर्ट में, कंपनी अधिनियम, 1956 को 'अधिनियम' और कंपनी अधिनियम, 2013 के रूप में 'नया अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है, दोनों को एक साथ 'अधिनियमों' के रूप में संदर्भित किया गया है।

### **विषय की अवधारणा (Emphasis of Matter)**

हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं:

नोट नं 8 (i), जो बताता है कि चालू वित्त वर्ष के लिए कर का प्रावधान एक विशेषज्ञ की राय के आधार पर लगभग रु 4,3,97,500/- इस तरह की कटौती के लिए 'पात्र व्यवसाय' के रूप में की गई व्यावसायिक गतिविधियों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80PA के तहत कटौती के लाभ को ध्यान में रखकर किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय परिवर्तित नहीं है।

### **वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी (Other Information other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon)**

कंपनी का निदेशक मंडल 'अन्य जानकारी' की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। 'अन्य जानकारी' में निदेशको की रिपोर्ट अनुलग्नकों और अन्य कंपनी से संबंधित जानकारी सहित शामिल लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद ऊपर दी गई 'अन्य जानकारी' हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय 'अन्य जानकारी' को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि उपरोक्त उपलब्ध 'अन्य जानकारी' को पढ़ने के लिए, जब यह उपलब्ध हो जाए और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या 'अन्य जानकारी' भौतिक रूप से वित्तीय विवरणों या हमारे ज्ञान के साथ असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम ऊपर उल्लिखित information अन्य जानकारी 'पढ़ते हैं, अगर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है, तो हमें आवश्यक है कि हम नियमन के लिए लोगों से बात करें और यदि आवश्यक हो, तो उचित कार्यवाही करें।

### **वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और नियमन के लिए प्रभारित की ज़िम्मेदारी (Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements)**

कंपनी के निदेशक मंडल 'नए अधिनियम' की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार हैं ('अधिनियम' की धारा 215, 216, 217 के अनुरूप) वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण, आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, जिसमें 'नया अधिनियम' की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं (धारा 211 (3C) के अनुसार) 'अधिनियम'), कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 में संशोधन के साथ पढ़ें। इस ज़िम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए 'अधिनियमों' के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड्स का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतफहमी से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रगतिशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने, खुलासा करने, लागू होने, चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि निदेशक मंडल का कंपनी को परिसमापन करने या संचालन को बंद करने का इरादा न हो, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

### **वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी (Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements)**

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण एक पूरे के रूप में भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी मिथ्या कथन का पता

लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

SAs के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के दुरुपयोग के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। 'नए अधिनियम' की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और कंपनी पर लागू होने पर इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- प्रबंधन लेखांकन के प्रगतिशील प्रतिष्ठान आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्यों के आधार पर, क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता उन घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित है जो कंपनी के एक प्रगतिशील अधिकारी के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को एक प्रगतिशील प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने में कठिनाई हो सकती है।
- खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरीके से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

महत्वता वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथन का परिमाण है, जो व्यक्तिगत या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में

मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान के गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम, उन सभी को जो गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी हैं अन्य मामलों में, ऑडिट की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, की सूचना देते हैं।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 'अधिनियम' के भाग IXA के तहत निर्माता कंपनी के रूप में पंजीकृत है। जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") भारत सरकार द्वारा 'न्यू एक्ट' की धारा 143 की उप-धारा (11) की उप-धारा (11) के संदर्भ में जारी किया गया है, और इस तरह के चेक के आधार पर आवश्यक है कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, जैसा कि हमने उचित माना और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम "अनुलग्नक : ए" में देते हैं, आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान, वह सीमा, जो 'नए अधिनियम' की धारा 465 के तहत निहित प्रावधानों को देखते हुए तैयार की गई है, जैसे कि 'अधिनियम' के प्रावधानों को निरस्त नहीं किया गया है।
2. जैसा कि 'न्यू एक्ट' की धारा 143 (3) ('एक्ट' की धारा 227 (3) के अनुसार) की आवश्यकता है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - a. हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांगा और प्राप्त किया है जो हमारे ऑडिट के उद्देश्य से हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।
  - b. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें अभी तक रखी गई हैं, क्योंकि यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षाओं से प्रकट होता है;
  - c. इस रिपोर्ट में वर्णित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण एंड रोकड़ प्रवाह विवरण, कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं
  - d. हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण 'नए अधिनियम' की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ('अधिनियम' की धारा 211 (3C) के अनुरूप), कंपनी (एसी गिनती मानक) नियम, 2006 में संशोधन के साथ पढ़ें।
  - e. 31 मार्च 2019 को कंपनी निदेशको से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा और निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2019 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक 'नए अधिनियम' की धारा 164 (2) 'नया अधिनियम' के ('अधिनियम' की धारा 274 (1) (g) के अनुरूप), निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।
  - f. MCA अधिसूचना संख्या एफ 1/11/2014- CL-V दिनांक 13-06-2017 के संदर्भ में, कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है;
  - g. कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 'अधिनियम' के भाग IXA के तहत निर्माता कंपनी के रूप में पंजीकृत है और धारा 197 के प्रावधान 'नए अधिनियम' की अनुसूची V के साथ पढ़ी गई कंपनी के

लिए लागू नहीं हैं। इसलिए, 'नया अधिनियम' की धारा 197 (16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

h. कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) रूल्स, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिटर्स रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमे नहीं हैं जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके कारण किसी भी तरह की महत्वपूर्ण अनिवार्य हानी हो।
- iii. कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना था।

3. 'अधिनियम' के भाग IXA के खंड की धारा 581ZG के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- a. विक्रय किए गए माल और सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का उल्लेख वित्तीय विवरणों की नोट नंबर 13 में किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी ऋण वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गए खातों की किताबों के अनुसार, न तो कंपनी के पास वर्ष के अंत में नकदी थी और न ही कंपनी प्रतिभूतियों में कोई निवेश रखती है।
- c. 31 मार्च, 2019 को संपत्तियां और देनदारियां के विवरण, कंपनी के वित्तीय विवरण के अनुसार हैं।
- d. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी लेनदेन को निष्पादित नहीं किया है जो 'अधिनियम' के भाग IXA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है।
- e. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- f. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान कोई दान या अभिदान नहीं दिया है।

वास्ते कालानी एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,  
फ़र्म पंजीयन संख्या 000722 सी

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)  
पार्टनर

सदस्यता संख्या - 416293

स्थान : जयपुर

दिनांक: 17 जुलाई, 2019

## स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक - 'अ'

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी 31 मार्च 2019 तारीख को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के पैराग्राफ 1 के तहत

- (i) अचल संपत्तियों के संबंध में:
  - क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।
  - ख. जैसा कि हमें समझाया गया है, स्थिर परिसंपत्तियों को समय-समय पर प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध आवधिक तरीके से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है, इस तरह के भौतिक सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।
  - ग. हमारे सत्यापन के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।
- (ii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन ने नियमित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया है। इस तरह के भौतिक सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (iii) कंपनी ने 'नये अधिनियम' की धारा 189 के तहत बनाए रजिस्टर सम्मिलित पार्टों को कोई असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। इसलिए, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, न निवेश किया है या गारंटी प्रदान की है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (v) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) केंद्र सरकार ने 'नये अधिनियम' की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii)
  - क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल सहित निर्विवाद वैधानिक देयताओं के संबंध में खातों की पुस्तकों में कटौती / अर्जित और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क का कर्तव्य, उत्पाद शुल्क का कर्तव्य, मूल्य कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय राशि (जो लागू हो) आम तौर पर नियमित रूप से कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ वर्ष के दौरान जमा किया गया है और 31 मार्च 2019 को कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया बकाया नहीं है, जिस तारीख को वे देय थे, उससे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए।

- ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के तहत आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क की ड्यूटी, उत्पाद शुल्क , वस्तु एवं सेवा कर या मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है ।
- (viii) खातों और जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिए गए के बही-खातों की जांच के आधार पर, कंपनी ऋण या बैंकों को उधार की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी ने सरकार या वित्तीय संस्थाओं से किसी भी ऋण नहीं लिया है और डिबेंचर जारी नहीं किया।
- (ix) कंपनी ऋण लिखत या अवधि ऋण के माध्यम से पैसा सहित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से पैसा नहीं उठाया गया है, इसलिए 'आदेश' के खंड (झ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी को वर्ष के दौरान देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है
- (xi) धारा 197 के प्रावधान 'नये अधिनियम' के निर्धारित नियम V के साथ पढ़े जाते हैं , कंपनी, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है , इसलिए 'ऑर्डर' के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी परीक्षा के आधार पर के अनुसार , कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन 'नए अधिनियम' की धारा 177 और 188 के प्रावधानों का, जहां कहीं भी लागू हो अनुपालन किया है , संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है, जो कि लागू लेखा मानकों के अनुसार है।
- (xiv) कंपनी 'अधिनियम' के भाग IXA के तहत निर्माता कंपनी के रूप में पंजीकृत है और इसलिए 'ऑर्डर' के खंड (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xv) कम्पनी के निदेशक या 'नई अधिनियम' की धारा 192 के प्रावधानों के तहत उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते कालानी एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स,  
फ़र्म पंजीयन संख्या 000722 सी

(कमलेश कुमार खंडेलवाल)  
पार्टनर  
सदस्यता संख्या - 416293

स्थान : जयपुर

दिनांक: 17 जुलाई, 2019

## वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान गतिविधियों की झलक




क्षेत्र में पहली बार हाथ से चारा काटने की मशीन की शुरुआत



मिल्क चिलिंग सेंटर शिवगंज का उद्घाटन



निदेशकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम



कंपनी के कर्मचारियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

## आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के मूल्य

संस्था का हित सर्वोपरि, ईमानदारी, जागरूकता एवम जिम्मेदारी, आपसी सहयोग, पारदर्शिता, समय की पाबंदी, गुणवत्ता

## आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के ध्येय

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सदस्याओं से गुणवत्ता आधारित दूध, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर खरीदने तथा दूध उत्पादन के लागत खर्च कम करने एवं दूध उत्पादन वृद्धि के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान करते हुए सदस्याओं को दूध व्यवसाय से अधिकतम लाभ अर्जित कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।

## आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी की दीर्घ दृष्टि

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में राजस्थान राज्य की सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक संस्थाओं में से एक बनेगी और अपने दूध एवं दूध-उत्पादों की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी । कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की सभी पशुपालक महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए पहली पसंद होगी।

### प्रेषक:

आशा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

(CIN : U01122RJ2016PTC049656)

प्लॉट न. 02, बोया मोड़, आज़ाद बस्ती

बाली, पाली, राजस्थान, 306701

दूरभाष संख्या- 02938- 222031

ई-मेल – bali.mpc@gmail.com